



उत्तरराष्ट्र



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग "वनभूमि" हस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम

:- जनपट-रुद्रप्रयाग में यज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्न के नव निर्माण हेतु 4.500 हैं। वनभूमि भूमि का लोनिविं को हस्तान्तरण।

ग्राम

:- तोषी,

राजस्व उप नियोक्तक क्षेत्र

:- फाटा,

तहसील

:- ऊखीमठ,

जनपट

:- रुद्रप्रयाग,

क्षेत्रफल

:- 4.011 हैं। आरक्षित वनभूमि मोटर मार्न निर्माण हेतु।

0.489 हैं। आरक्षित वनभूमि मक इमिपं हेतु।

कुल वनभूमि = 4.500 हैं।

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठा संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नमित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16-1	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित ही तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-40	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/ सारांश।		संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	41	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	45	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	46-47		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	48		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मात्र उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	49-52	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	53	संलग्न है	
27	लागत लाग विशेषण। (5 हेठो से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लाग)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हेठो से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	54-58	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का गदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	59-61	संलग्न है	

32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन जाने का प्रमाणपत्र।	62	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	63	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	64-65	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	67	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	70	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हेंड से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	71-79	— " —	
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	73	— " —	
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	78		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	77	— " —	
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/ 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	80-81	— " —	लागू नहीं है
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न नहीं है	
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	79	संलग्न है	
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	83-83-2	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	84	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	85	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	86	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	87	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

1. परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हैं वनभूमि भूमि का लोनिंगिंग को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैथानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टर में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	4.011 हैं मोटर मार्ग हेतु + 0.489 हैं मक इमिपंग हेतु = 4.500
राज्य भूमि	शून्य
नाप भूमि	0.243
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	4.743 हैं

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-वर्ता भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

हाँ/नहीं

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- वर्ता प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की छरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

है-

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/ नहीं

13 - संमरण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वार्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

14 - वया वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

15 - वया क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्ता

प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - वया मानवित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त

हाँ/नहीं

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

18 - वया परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के टिक्ट से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - वया प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

प्रति संलग्न करें)

22 - वया मानवित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रगों से भरा गया है। -

हाँ/नहीं

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानवित्र पर दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

24 - वया प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। -

हाँ/नहीं

25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की

गरी कार्रवाही का विवरण संलग्न किया जाय। उल्लंघन जटि किमान्त्रम् हुआ है।

26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गरी अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक समरेखण मानवित्र पर दर्शाये गये हैं। -

हाँ/नहीं

27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

29-मानवित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानवित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-वया प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो वया वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं-

हाँ/नहीं

35-वया प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-वया चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैवट शीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व
समरत प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कनिष्ठ अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


सचिवक अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिकारी अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी

केदार नाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊर्ध्वीमठ रेजि (रुद्रप्रयाग),
उर्ध्वीमठ वन क्षेत्र गुरुतकर्षी
जगदपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर।

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हैं वनभूमि भूमि का लोनिंगिंग को छस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीकृति शासनादेश सं0 2555 / III-2 / 06-41(प्रा03ा0)/2006 दिन 26-५-2006 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी संम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 6.00 किमी लम्बाई में स्थीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रु 148.80 लाख है। उक्त मार्ग के संमेखण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (हेटो में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डिपिंग हेतु	5730	7	4.011 0.489 = 4.500
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (याटि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	5730	-	4.500
4	नाप भूमि	270	9	0.243
	कुल योग:-	6000	-	4.743

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्थीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि छस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिश्च अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


आधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)